

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० -100/2023

अनवान : -



1. दयाराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।

बनाम

1. हरपालसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
3. प्रमेश्वरी पत्नी रामकुमार उर्फ आँकार जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री रामकुमार पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी फूलका तहसील चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)।
5. चन्द्रकला पुत्री रामकुमार पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी फूलका तहसील चोपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

: - प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भादरा के चक चक 1 बीबीएम के खाता संख्या 5/7 के मु० नं० 1 के किला नं. 24 की 0.1010 है० नहरी, किला नं. 25 की 0.127 है०, मु० नं० 2 के किला नं. 21 की 0.101 है० नहरी, किला नं. 22 की 0.114 है०, मु० नं० 29 के किला नं. 1/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं. 1/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 2/1 की 0.228 है० नहरी, किला नं. 2/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 9 ता 12 व 19 ता 22 सम्पूर्ण नहरी, मु० नं० 30 के किला नं. 3 की 0.038 है० नहरी, किला नं. 4/1 की 0.215 है०, किला नं. 4/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 5 व 6 सम्पूर्ण किला नं. 7/1 की 0.215 है० किला नं० 7/2 की 0.038 है० खाला, किला नं. 8 की 0.190 है०, किला नं. 13/1 की 0.215 है०, किला नं. 13/2 की 0.038 है० खाला, किला नं. 14 ता 18 व 24, 25 सम्पूर्ण, मु० नं. 35 के किला नं. 1, 2, 8, 9, 10 की सम्पूर्ण नहरी, मु० नं० 41 के किला नं. 4 सम्पूर्ण, किला नं. 6/1 की 0.228 है०, किला नं. 6/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 7, 8, 13, 14 सम्पूर्ण, किला नं. 15/1 की 0.228 है०, किला नं. 15/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 16/1 की 0.228 है०, किला नं. 16/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 17, 18 सम्पूर्ण नहरी, किला नं. 23/1 की 0.228 है०, किला नं. 23/2 की 0.025 है० खाला, किला नं. 24/1 की 0.228 है०, किला नं. 24/2 की 0.025 है० खाला, किला

नं. 25/1 की 0.202 है०, किला नं. 25/2 की 0.051 है० खाला, कुल किता 57 की नहरी 10.451 है०. मै. मु. खाला 0.327 है०, कुल 10.778 है० खातेदारी आराजी थी। इसी प्रकार वादी के पिता औंकार बन्द खमाणा के ग्राम 10 ए.एम.एस. के खाता संख्या 8/5 के मु० नं० 9 के किला नं. 11, 12, 13, 18 ता 23 सम्पूर्ण नहरी, मु० नं० 16 के किला नं. 1 ता 3 व 8 ता 11 सम्पूर्ण कुल किता 16 की कुल 4.048 है० नहरी खातेदारी थी। चक 11 ए एम एस मे वादी के पिता की खाता संख्या 7/7 के मु० नं० 9 के किला नं. 16 ता 18, 23 ता 25, मु० नं० 10 के किला नं. 3 ता 8, 13, 14, 15 व 18 सम्पूर्ण नहरी, कुल खसरा 16 की 4.048 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता औंकारमल पुत्र खमाणाराम/ औंकार पुत्र खमाणा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से औंकारमल पुत्र खमाणाराम/ औंकार पुत्र खमाणा अकेले के बजाए वादी सं० 1 दयाराम व प्रतिवादी सं० 1 हरपाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 निहालसिंह को बहिस्ता बयवर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(Handwritten Signature)
 (कल्पित शिवरान)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़गढ़ी
 R.A.S